(राज्य स्कीम)

बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0–4/निदे0 आवा0 वि0(उत्क्रमण)–01–10–16/2016 80

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 03.11.17

विषयः– वर्त्तमान वित्तीय वर्ष–2017–18 में अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत 21 आवासीय विद्यालयों (**परिशिष्ट–1**) के भवनों (720 आसन) तथा अनुसूचित जनजाति के लिए स्वीकृत 3 आवासीय विद्यालयों (**परिशिष्ट–2**) के भवनों (720 आसन) का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 द्वारा अनुमोदित नक्शा एवं प्राक्कलन के अनुसार प्रति विद्यालय ₹34.83 करोड़ की दर से अनुसूचित जाति के लिए ₹731.43 करोड़ एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ₹104.49 करोड़ अर्थात कुल–₹835.92 करोड़ (आठ सौ पैंतीस करोड़ बानवे लाख रूपया) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं निर्माण कार्य बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 के माध्यम से कराने की स्वीकृति तथा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष–2017–18 में अनुसूचित जाति के लिए ₹219.42 करोड़ एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ₹31.34 करोड़ अर्थात कुल ₹250.76 करोड़ (दो सौ पचास करोड़ छिहत्तर लाख रूपया) मात्र के व्यय की स्वीकृति के साथ ही आगामी वित्तीय वर्षो में प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में उपलब्ध राशि से व्यय की स्वीकृति।

आदेश :–**स्वीकृत।**

2–(i) वर्त्तमान वित्तीय वर्ष–2017–18 में अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत 21 आवासीय विद्यालयों (**परिशिष्ट–1**) के भवनों (720 आसन) तथा अनुसूचित जनजाति के लिए स्वीकृत 3 आवासीय विद्यालयों (**परिशिष्ट–2**) के भवनों (720 आसन) का निर्माण भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 द्वारा मॉडल अनुमोदित नक्शा एवं प्राक्कलन के अनुसार कराने की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

(ii) प्रति विद्यालय ₹34.83 करोड़ की दर से अनुसूचित जाति के लिए ₹731.43 करोड़ एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ₹104.49 करोड़ अर्थात कुल–₹835.92 करोड़ (आठ सौ पैंतीस करोड़ बानवे लाख रूपया) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष–2017–18 में अनुसूचित जाति के लिए ₹219.42 करोड़ एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ₹31.34 करोड़ अर्थात कुल ₹250.76 करोड़ (दो सौ पचास करोड़ छिहत्तर लाख रूपया) मात्र के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

(iii) आवासीय विद्यालय के भवनों का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 के माध्यम से कराने की स्वीकृति दी जाती है।

(iv) प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में आगामी वित्तीय वर्षो में उपलब्ध राशि से व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

3– इस योजना के लिए राज्य स्कीम मद से भवन निर्माण विभाग के निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत प्रावधानित राशि से व्यय किया जायेगा :–

(क) **अनुसूचित जाति** के भवन निर्माण के लिए भवन निर्माण विभाग के मांग सं0–03 मुख्य बजट शीर्ष–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय– उपमुख्यशीर्ष–01–कार्यालय भवन–लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–0101– अनुसचित जाति के भवन–विषय शीर्ष–0101.53.01 मुख्य निर्माण कार्य– विपत्र कोड–03–**4059017890101 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।**

(ख) अनुसूचित जनजाति के भवन निर्माण के लिए भवन निर्माण विभाग के मांग सं0–03 मुख्य बजट शीर्ष–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–उपमुख्यशीर्ष–01–कार्यालय भवन–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना– उपशीर्ष–0104– अनुसचित जनजाति के भवन– विषय शीर्ष–0104.53.01 मुख्य निर्माण कार्य– विपत्र कोड–03–**4059017960104** के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4– राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561 दिनांक 17–4–1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों के निहित निदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

5– इस राशि के लिए निकासी पदाधिकारी, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। वे राशि की निकासी कर बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 पटना के पी0 एल0 ए0 खाता संख्या–238 में स्थानान्तरित करेगें। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 पटना राशि के व्यय के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे एवं इसकी सूचना अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को देंगे।

6– निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित किये गये नक्शा, प्राक्कलन तथा निर्धारित मापदण्ड एवं निर्धारित समय सीमा के अन्दर बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 पटना के माध्यम से कराया जायेगा। आवासीय विद्यालयों का निर्माण कार्य 720 आसन वाले आवासीय विद्यालय के अनुरूप आधारभूत संरचना, 05 वर्षो के लिए रख–रखाव एवं फर्निशिंग कार्य के लिए भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 पटना के पत्रांक–2043 (अनु0) दिनांक–29.06.2017 के आलोक में तकनीकी अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन प्रति विद्यालय ₹3483.00 लाख (चौतीस करोड़ तिरासी लाख रू0) की राशि से कराया जाएगा। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना आवासीय विद्यालयों का निर्माण कार्य संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा आवासीय विद्यालयों के लिए संलग्न विवरणी–1 के अनुसार चयनित भूमि पर कराया जाएगा। परियोजना तैयार करते समय पूर्व में सृजित की गयी योग्य आधारभूत संरचना को ध्यान में रखकर आवश्यकतानुसार इंटीग्रेटेड एप्रोच में वास्तविक परियोजना तैयार कराया जायेगा। तद्नुसार प्राक्कलित राशि में से पूर्व से सृजित आधारभूत संरचना को वर्तमान प्राक्कलित राशि से घटाया जायेगा।

7– इस योजना के लिये नियंत्री पदाधिकारी, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग होंगे। वे समय–समय पर कार्य की प्रगति एवं व्यय की गई राशि की उपयोगिता की सूचना अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को भी माहवार उपलब्ध करायेंगे।

8– इस प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–18.10.17 में मद संख्या–02 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

9– इस प्रस्ताव पर संचिका सं0–4/निदे0 आवा0 वि0(उत्क्रमण)–01–10–16/2016 के पृ0– टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार से सहमति प्राप्त है।

10 – इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार को दी जा रही है।

11 – कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

2.11.17

(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–4/निदे0 आवा0 वि0(उत्क्रमण)–01–10–16/2016 80 पटना,दिनाक– 03.11.17

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव वित्त विभाग, बजट, शाखा/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/सचिव, निगरानी विभाग/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 पटना /अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) संबधित जिला कोषागार पदाधिकारी बिहार/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/निदेशक, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित उप निदेशक, कल्याण/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकरी/आई0 टी0 मैनेजर, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, बजट प्रशाखा, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2.11.17

सरकार के सचिव।

परिशिष्ट–1

720 आसन वाले अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों के भवनों के निर्माण की सूची

क्र0 सं0	आवासीय विद्यालय का नाम एवं पता	भूमि की उपलब्धता	प्राक्कलित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	राजकीय अम्बेदकर आवासीय बालक उच्च विद्यालय,, मटिहानी, गया	4.38 एकड़ खाता न0–225 खेसरा नं0–986	₹34.83 करोड	परियोजना प्रस्ताव पूर्व में सृजित योग्य आधारभूत संरचना को ध्यान में रखकर आवश्यकतानुसार आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों के निर्माण की परियोजना स्थल प्रबंधन (Space management) के अनुसार एकीकृत उपागम (Integrated Approach) के तहत विस्तृत परियोजना प्रस्ताव(DPR) तैयार किया जायेगा। तद्नुसार प्राक्कलित राशि में से पूर्व से सृजित योग्य आधारभूत संरचना को वर्तमान प्राक्कलित राशि से घटाया जायेगा। 720 छात्र बल के अनुसार उपलब्ध भूमि पर एकीकृत उपागम के तहत निर्माण कराया जाएगा।
2	राजकीय अम्बेदकर अनुसूचित जाति आवासीय बालक उच्च विद्यालय,, मनफर, गया	8.01 एकड खाता न0–50,06,11,28, 47 खेसरा नं0–503,504,505, 520,519	₹34.83 करोड	परियोजना प्रस्ताव पूर्व में सृजित योग्य आधारभूत संरचना को ध्यान में रखकर आवश्यकतानुसार आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों के निर्माण की परियोजना स्थल प्रबंधन (Space management) के अनुसार एकीकृत उपागम (Integrated Approach) के तहत विस्तृत परियोजना प्रस्ताव(DPR) तैयार किया जायेगा। तद्नुसार प्राक्कलित राशि में से पूर्व से सृजित योग्य आधारभूत संरचना को वर्तमान प्राक्कलित राशि से घटाया जायेगा। 720 छात्र बल के अनुसार उपलब्ध भूमि पर एकीकृत उपागम के तहत निर्माण कराया जाएगा।
3	राजकीय अम्बेदकर अनुसूचित जाति आवासीय बालक +2 उच्च विद्यालय, शेरघाटी, गया	5.26 एकड़ खाता न0–411 खेसरा नं0–2735	₹34.83 करोड़	परियोजना प्रस्ताव पूर्व में सृजित योग्य आधारभूत संरचना को ध्यान में रखकर आवश्यकतानुसार आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों के निर्माण की परियोजना स्थल प्रबंधन (Space management) के अनुसार एकीकृत उपागम (Integrated Approach) के तहत विस्तृत परियोजना प्रस्ताव(DPR) तैयार किया जायेगा। तद्नुसार प्राक्कलित राशि में से पूर्व से सृजित योग्य आधारभूत संरचना को वर्तमान प्राक्कलित राशि से घटाया जायेगा। 720 छात्र बल के अनुसार उपलब्ध भूमि पर एकीकृत उपागम के तहत निर्माण कराया जाएगा।
4	राजकीय अम्बेदकर आ0उ0विद्यालय,राघोपुर,बखरी, सीतामढ़ी	6 एकड	₹34.83 करोड़	परियोजना प्रस्ताव पूर्व में सृजित योग्य आधारभूत संरचना को ध्यान में रखकर आवश्यकतानुसार आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों के निर्माण की परियोजना स्थल प्रबंधन (Space management) के अनुसार एकीकृत उपागम (Integrated Approach) के तहत विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (DPR) तैयार किया जायेगा। तद्नुसार प्राक्कलित राशि में से पूर्व से सृजित योग्य आधारभूत संरचना को वर्तमान प्राक्कलित राशि से घटाया जायेगा। 720 छात्र बल के अनुसार उपलब्ध भूमि पर एकीकृत उपागम के तहत निर्माण कराया जाएगा।
5	राजकीय अम्बेदकर आवासीय प्राथमिक बालिका विद्यालय .(झपहां) बोचहा, मुजफ्फरपुर	3.00 एकड़ मौजा–झपहां खाता सं0–594 खेसरा–8391	₹34.83 करोड	नये भूमि पर 720 आसन वाले आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों के निर्माण की परियोजना स्थल प्रबंधन (Space management) के अनुसार एकीकृत उपागम (Integrated Approach) के तहत विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (DPR) तैयार किया जायेगा।
6	राजकीय अम्बेदकर आ0उ0विद्यालय,बलिराजपुर, मधुबनी	5 एकड	₹34.83 करोड	परियोजना प्रस्ताव पूर्व में सृजित योग्य आधारभूत संरचना को ध्यान में रखकर आवश्यकतानुसार आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों के निर्माण की परियोजना स्थल प्रबंधन (Space management) के अनुसार एकीकृत उपागम (Integrated Approach) के तहत विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (DPR) तैयार किया जायेगा। तद्नुसार प्राक्कलित राशि में से पूर्व से सृजित योग्य आधारभूत संरचना को वर्तमान प्राक्कलित राशि से घटाया जायेगा। 720 छात्र बल के अनुसार उपलब्ध भूमि पर एकीकृत उपागम के तहत निर्माण कराया जाएगा।
7	राजकीय अम्बेदकर बालिका उच्च विद्यालय,नवादा	2.92 एकड़ खाता न0–281 खेसरा नं0–04 थाना न0–376 मौजा–गोंदापुर	₹34.83 करोड	परियोजना प्रस्ताव पूर्व में सृजित योग्य आधारभूत संरचना को ध्यान में रखकर आवश्यकतानुसार आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों के निर्माण की परियोजना स्थल प्रबंधन (Space management) के अनुसार एकीकृत उपागम (Integrated Approach) के तहत विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (DPR) तैयार किया जायेगा। तद्नुसार प्राक्कलित राशि में से पूर्व से सृजित योग्य आधारभूत संरचना को वर्तमान प्राक्कलित राशि से घटाया जायेगा। 720 छात्र बल के अनुसार उपलब्ध भूमि पर एकीकृत उपागम के तहत निर्माण कराया जाएगा।

क0 सं0	आवासीय विद्यालय का नाम एवं पता	भूमि की उपलब्धता	प्राक्कलित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
8	राजकीय अम्बेदकर बालिका आवासीय+2 उच्च विद्यालय, राजगीर, नालन्दा	5 एकड़	₹34.83 करोड	परियोजना प्रस्ताव पूर्व में सृजित योग्य आधारभूत संरचना को ध्यान में रखकर आवश्यकतानुसार आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों के निर्माण की परियोजना स्थल प्रबंधन (Space management) के अनुसार एकीकृत उपागम (Integrated Approach) के तहत विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (DPR) तैयार किया जायेगा। तद्नुसार प्राक्कलित राशि में से पूर्व से सृजित योग्य आधारभूत संरचना को वर्तमान प्राक्कलित राशि से घटाया जायेगा। 720 छात्र बल के अनुसार उपलब्ध भूमि पर एकीकृत उपागम के तहत निर्माण कराया जाएगा।
9	राजकीय अम्बेदकर आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, हरपुर, एलौथ, समस्तीपुर	3.5 एकड़	₹34.83 करोड	परियोजना प्रस्ताव पूर्व में सृजित योग्य आधारभूत संरचना को ध्यान में रखकर आवश्यकतानुसार आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों के निर्माण की परियोजना स्थल प्रबंधन (Space management) के अनुसार एकीकृत उपागम (Integrated Approach) के तहत विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (DPR) तैयार किया जायेगा। तद्नुसार प्राक्कलित राशि में से पूर्व से सृजित योग्य आधारभूत संरचना को वर्तमान प्राक्कलित राशि से घटाया जायेगा। 720 छात्र बल के अनुसार उपलब्ध भूमि पर एकीकृत उपागम के तहत निर्माण कराया जाएगा।
10	राजकीय अम्बेदकर आवासीय उच्च विद्यालय, मेडरौल, प0 चम्पारण	4 एकड़	₹34.83 करोड़	परियोजना प्रस्ताव पूर्व में सृजित योग्य आधारभूत संरचना को ध्यान में रखकर आवश्यकतानुसार आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों के निर्माण की परियोजना स्थल प्रबंधन (Space management) के अनुसार एकीकृत उपागम (Integrated Approach) के तहत विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (DPR) तैयार किया जायेगा। तद्नुसार प्राक्कलित राशि में से पूर्व से सृजित योग्य आधारभूत संरचना को वर्तमान प्राक्कलित राशि से घटाया जायेगा। 720 छात्र बल के अनुसार उपलब्ध भूमि पर एकीकृत उपागम के तहत निर्माण कराया जाएगा।
11	राजकीय अम्बेदकर आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, इन्दपे, जमुई	4.5 एकड	₹34.83 करोड	परियोजना प्रस्ताव पूर्व में सृजित योग्य आधारभूत संरचना को ध्यान में रखकर आवश्यकतानुसार आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों के निर्माण की परियोजना स्थल प्रबंधन (Space management) के अनुसार एकीकृत उपागम (Integrated Approach) के तहत विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (DPR) तैयार किया जायेगा। तद्नुसार प्राक्कलित राशि में से पूर्व से सृजित योग्य आधारभूत संरचना को वर्तमान प्राक्कलित राशि से घटाया जायेगा। 720 छात्र बल के अनुसार उपलब्ध भूमि पर एकीकृत उपागम के तहत निर्माण कराया जाएगा।
12	राजकीय अम्बेदकर आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, सुपौल	4.5 एकड़ नये प्रस्तावित भूमि पर	₹34.83 करोड	नये भूमि पर 720 आसन वाले आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों के निर्माण की परियोः स्थल प्रबंधन (Space management) के अनुसार एकीकृत उपागम (Integrated Approach) के तहत विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (DPR) तैयार किया जायेगा।
13	राजकीय अम्बेदकर आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, मोकर, सासाराम	3.5 एकड़	₹34.83 करोड़	परियोजना प्रस्ताव पूर्व में सृजित योग्य आधारभूत संरचना को ध्यान में रखकर आवश्यकतानुसार आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों के निर्माण की परियोजना स्थल प्रबंधन (Space management) के अनुसार एकीकृत उपागम (Integrated Approach) के तहत विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (DPR) तैयार किया जायेगा। तद्नुसार प्राक्कलित राशि में से पूर्व से सृजित योग्य आधारभूत संरचना को वर्तमान प्राक्कलित राशि से घटाया जायेगा। 720 छात्र बल के अनुसार उपलब्ध भूमि पर एकीकृत उपागम के तहत निर्माण कराया जाएगा।
14	राजकीय अम्बेदकर आवासीय बालक उच्च विद्यालय,हथुआ, गोपालगंज	4.6 एकड़	₹34.83 करोड़	परियोजना प्रस्ताव पूर्व में सृजित योग्य आधारभूत संरचना को ध्यान में रखकर आवश्यकतानुसार आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों के निर्माण की परियोजना स्थल प्रबंधन (Space management) के अनुसार एकीकृत उपागम (Integrated Approach) के तहत विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (DPR) तैयार किया जायेगा। तद्नुसार प्राक्कलित राशि में से पूर्व से सृजित योग्य आधारभूत संरचना को वर्तमान प्राक्कलित राशि से घटाया जायेगा। 720 छात्र बल के अनुसार उपलब्ध भूमि पर एकीकृत उपागम के तहत निर्माण कराया जाएगा।

सं0	आवासीय विद्यालय का नाम एवं पता	भूमि की उपलब्धता	प्राक्कलित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
15	राजकीय अम्बेदकर अनु0 जाति आवा0 बालिका उ0 विद्यालय, जहानाबाद।	7.69 एकड खाता न0–181 खेसरा न0–926 थाना न0–440 नारायणपुर दक्षिण प्रखण्ड–काको	₹34.83 करोड	परियोजना प्रस्ताव पूर्व में सृजित योग्य आधारभूत संरचना को ध्यान में रखकर आवश्यकतानुसार आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों के निर्माण की परियोजना स्थल प्रबंधन (Space management) के अनुसार एकीकृत उपागम (Integrated Approach) के तहत विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (DPR) तैयार किया जायेगा। तदनुसार प्राक्कलित राशि में से पूर्व से सृजित योग्य आधारभूत संरचना को वर्तमान प्राक्कलित राशि से घटाया जायेगा। 720 छात्र बल के अनुसार उपलब्ध भूमि पर एकीकृत उपागम के तहत निर्माण कराया जाएगा।
16	राजकीय अम्बेदकर अनु0 जाति आवा0 बालिका उ0 विद्यालय, शिवहर ।	3 एकड	₹34.83 करोड	नये भूमि पर 720 आसन वाले आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों के निर्माण की परियोजना स्थल प्रबंधन (Space management) के अनुसार एकीकृत उपागम (Integrated Approach) के तहत विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (DPR) तैयार किया जायेगा।
17	राजकीय अम्बेदकर अनु0 जाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, बांका।	5.0 एकड अंचल–धोरैया मौजा– चपरी थाना न0–285 खाता सं0–29 खेसरा–07	₹34.83 करोड	नये भूमि पर 720 आसन वाले आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों के निर्माण की परियोजना स्थल प्रबंधन (Space management) के अनुसार एकीकृत उपागम (Integrated Approach) के तहत विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (DPR) तैयार किया जायेगा।
18	राजकीय अम्बेदकर बालक उच्च विद्यालय, रजौली, नवादा	6.15 एकड़ अंचल–रजौली मौजा– महसई थाना न0–183 खाता सं0–395 खेसरा–365, 366	₹34.83 करोड़	परियोजना प्रस्ताव पूर्व में सृजित योग्य आधारभूत संरचना को ध्यान में रखकर आवश्यकतानुसार आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों के निर्माण की परियोजना स्थल प्रबंधन (Space management) के अनुसार एकीकृत उपागम (Integrated Approach) के तहत विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (DPR) तैयार किया जायेगा। तदनुसार प्राक्कलित राशि में से पूर्व से सृजित योग्य आधारभूत संरचना को वर्तमान प्राक्कलित राशि से घटाया जायेगा। 720 छात्र बल के अनुसार उपलब्ध भूमि पर एकीकृत उपागम के तहत निर्माण कराया जाएगा।
19	राजकीय अम्बेदकर बालक उच्च विद्यालय, जानकीनगर, पूर्णियाँ	5.00 एकड	₹34.83 करोड़	परियोजना प्रस्ताव पूर्व में सृजित योग्य आधारभूत संरचना को ध्यान में रखकर आवश्यकतानुसार आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों के निर्माण की परियोजना स्थल प्रबंधन (Space management) के अनुसार एकीकृत उपागम (Integrated Approach) के तहत विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (DPR) तैयार किया जायेगा। तदनुसार प्राक्कलित राशि में से पूर्व से सृजित योग्य आधारभूत संरचना को वर्तमान प्राक्कलित राशि से घटाया जायेगा। 720 छात्र बल के अनुसार उपलब्ध भूमि पर एकीकृत उपागम के तहत निर्माण कराया जाएगा।
20	राजकीय अम्बेदकर बालिका उच्च विद्यालय, दरभंगा	5.00 एकड अंचल–कोलहंटा पटोरी खाता स0–1203 खेसरा–3205, 3206,3209,3091, 3090 एवं 3093	₹34.83 करोड	नये भूमि पर 720 आसन वाले आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों के निर्माण की परियोजना स्थल प्रबंधन (Space management) के अनुसार एकीकृत उपागम (Integrated Approach) के तहत विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (DPR) तैयार किया जायेगा।
21	राजकीय अम्बेदकर बालिका आवासीय उच्च विद्यालय, मुरलीगंज, मधेपुरा	3.78 एकड	₹34.83 करोड	परियोजना प्रस्ताव पूर्व में सृजित योग्य आधारभूत संरचना को ध्यान में रखकर आवश्यकतानुसार आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों के निर्माण की परियोजना स्थल प्रबंधन (Space management) के अनुसार एकीकृत उपागम (Integrated Approach) के तहत विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (DPR) तैयार किया जायेगा। तदनुसार प्राक्कलित राशि में से पूर्व से सृजित योग्य आधारभूत संरचना को वर्तमान प्राक्कलित राशि से घटाया जायेगा। 720 छात्र बल के अनुसार उपलब्ध भूमि पर एकीकृत उपागम के तहत निर्माण कराया जाएगा।

पत्रांक– 80 दिनांक– 03.11.17 का अनुलग्नक

.11.17

सरकार के सचिव

परिशिष्ट–2

720 आसन वाले अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों के भवनों के निर्माण की सूची

क0 सं0	आवासिय विद्यालय का नाम एवं पता	भूमि की उपलब्धता	प्राक्कलित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय, बड़गॉव, कैमूर	10 एकड़	₹34.83 करोड़	परियोजना प्रस्ताव पूर्व में सृजित योग्य आधारभूत संरचना को ध्यान में रखकर आवश्यकतानुसार आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों के निर्माण की परियोजना स्थल प्रबंधन (Space management) के अनुसार एकीकृत उपागम (Integrated Approach) के तहत विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (DPR) तैयार किया जायेगा। तद्नुसार प्राक्कलित राशि में से पूर्व से सृजित योग्य आधारभूत संरचना को वर्तमान प्राक्कलित राशि से घटाया जायेगा। 720 छात्र बल के अनुसार उपलब्ध भूमि पर एकीकृत उपागम के तहत निर्माण कराया जाएगा।
2	राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उच्च विद्यालय, बनमनखी बुढ़िया, पूर्णिया ।	5.00 एकड़ खाता नं0–234 खेसरा नं0–2538,2539	₹34.83 करोड़	परियोजना प्रस्ताव पूर्व में सृजित योग्य आधारभूत संरचना को ध्यान में रखकर आवश्यकतानुसार आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों के निर्माण की परियोजना स्थल प्रबंधन (Space management) के अनुसार एकीकृत उपागम (Integrated Approach) के तहत विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (DPR) तैयार किया जायेगा। तद्नुसार प्राक्कलित राशि में से पूर्व से सृजित योग्य आधारभूत संरचना को वर्तमान प्राक्कलित राशि से घटाया जायेगा। 720 छात्र बल के अनुसार उपलब्ध भूमि पर एकीकृत उपागम के तहत निर्माण कराया जाएगा।
3	राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उच्च विद्यालय, देवरी, कैमूर	4.11 एकड़	₹34.83 करोड़	परियोजना प्रस्ताव पूर्व में सृजित योग्य आधारभूत संरचना को ध्यान में रखकर आवश्यकतानुसार आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों के निर्माण की परियोजना स्थल प्रबंधन (Space management) के अनुसार एकीकृत उपागम (Integrated Approach) के तहत विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (DPR) तैयार किया जायेगा। तद्नुसार प्राक्कलित राशि में से पूर्व से सृजित योग्य आधारभूत संरचना को वर्तमान प्राक्कलित राशि से घटाया जायेगा। 720 छात्र बल के अनुसार उपलब्ध भूमि पर एकीकृत उपागम के तहत निर्माण कराया जाएगा।

पत्रांक– 80 दिनांक– 03.11.17 का अनुलग्नक

3.11.17

सरकार के सचिव